



स्पीड पोस्ट

हमारा संदर्भ नाशाका/सी एम/एल :- 7400051242

दिनांक - 23 जून 2023

विषय : आई एस 14885 : 2022 के अनुरूप भा मा ब्यूरो प्रमाणन मुहर लाइसेंस संख्या सी एम/एल - 7400051242 प्रदान करने के संबंध संदर्भ में ।/
Grant of BIS Product Certification License No.- CM/L-7400051242 as per IS 14885 : 2022.

सास पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड

SAS Polymers Private Limited

एमपीआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, प्लॉट नं. J8, J9, J10, J11 और J12,

MPIDC Industrial Area, Plot No. J8, J9, J10, J11 & J12,

रेमंड्स फैक्ट्री के पीछे, खैरीताई, बोरगांव, तहसील सासर,

Behind Reymonds Factory, Khairitai, Borgaon, Tehsil Sausar,

जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश - 480108

Distt Chhindwara, Madhya Pradesh - 480108

महोदय / Dear Sir,

आपके आवेदन के संदर्भ में हम यह सहर्ष सूचित करते हैं कि आपको अपने निम्न उत्पाद पर मानक मुहर का उपयोग करने के लिए सर्टिफिकेशन मार्क्स लाइसेंस जारी किया गया है :

With reference to your application, we are pleased to inform you that the Certification Marks License has been granted to you to use the Standard Mark in respect of the following:

Product: Polyethylene Pipes for the Supply of Gaseous Fuels Specification (First Revision)

Type/ Size/ Grade/ Variety/ Class: (1) PE100 DN32 en2.30 to DN315 en18.70 SDR17
(2) PE100 DN16 en2.30 to DN315 en23.20 SDR 13.6
(3) PE100 DN16 en3.0 to DN315 en35.20 SDR9
(4) PE80 DN32 en2.30 to DN315 en18.70 SDR17
(5) PE80 DN16 en2.30 to DN315 en23.20 SDR13.6
(6) PE80 DN16 en3.0 to DN315 en35.20 SDR9

2. आपको प्रदान किए गए लाइसेंस का नंबर सी एम/एल - 7400051242 है जो दिनांक 21/06/2023 से लागू है तथा दिनांक 20/06/2024 तक वैध है । आपके द्वारा किए जाने वाले पत्राचार में इस लाइसेंस नंबर का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए ।

The number assigned to this license is CM/L- 7400051242 which has been made operative from 21/06/2023 and is valid upto 20/06/2024. The license number shall invariably be referred to in your future correspondence.

3. लाइसेंस इस स्पष्ट शर्त पर प्रदान किया जाता है कि आप लाइसेंस के दायरे के तहत पूरे उत्पादन को मानक चिह्न के साथ चिह्नित करेंगे और प्रासंगिक भारतीय मानकों के अनुरूप बनाए रखेंगे। तदनुसार, आप पूरे उत्पादन को मानक चिह्न के साथ लाइसेंस के दायरे में शामिल करेंगे और प्रासंगिक भारतीय मानकों के अनुरूप बनाए रखेंगे। इसके अलावा, आप अपने पास मौजूद बीआईएस उत्पाद प्रमाणीकरण लाइसेंस को अपने परिसर में प्रमुखता से प्रदर्शित करेंगे और अपने वाणिज्यिक विज्ञापनों में आपके पास मौजूद बीआईएस उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस का भी उल्लेख करेंगे।

The licence is granted on the explicit condition that you shall mark entire production under scope of licence with Standard Mark and maintain conformity to the relevant Indian Standards. Accordingly, you shall cover the entire production under scope of licence with Standard Mark and maintain conformity to the relevant Indian Standards. In addition, you shall display the BIS product certification licence held by you prominently at your premises and also mention the BIS product certification licence held by you in your commercial advertisements.

एन. आय. टी. बिल्डींग, दुसरी मंज़िल, गोकुलपेठ, नागपुर 440010

ईपीबीएक्स :- (0712) 2565171, 2554267

ई-मेल : ngbo@bis.gov.in वेबसाइट : www.bis.gov.in

NIT Building, Second Floor, Gokulpeth, Nagpur 440010

EPBX - (0712) 2565171, 2554267

e-mail : ngbo@bis.gov.in Website: www.bis.gov.in

For detailed information on BIS, consult the e-BIS Portal (www.manakonline.in)

Please use "BIS CARE APP" for verification of ISI-marked goods and hallmarked gold jewellery